



कोटा विकास प्राधिकरण

क्रमांक :- एफ 7/डी0टी0पी0/2025/3055

दिनांक :- 29/09/2025

—:: कार्यालय आदेश ::—

अनुमोदित ले-आउट प्लान (आवासीय योजना प्रयोजनार्थ) खसरा संख्या 2153/536 (नॉर्थ साईड), 542 (नॉर्थ), 2126/543 (नॉर्थ), 2118/542 (साउथ), 2125/543 (नॉर्थ) ग्राम नान्ता क्षेत्रफल 17800 वर्गमीटर के ले-आउट प्लान का समिति की बैठक दिनांक 10/01/2025 में लिये गए निर्णयानुसार अनुमोदन किया गया था। उक्त योजना में आंतरिक विकास के पेटे नियमानुसार 12.5 प्रतिशत में भूखण्ड सं0 03 से 12 (कुल 10 भूखण्ड) क्षेत्रफल 13425 वर्गफीट आरक्षित किये गये थे।

योजना में आंतरिक विकास कार्य बाबत चार्टर्ड इंजीनियर के पूर्णता प्रमाण-पत्र दिनांक 15/07/2025 एवम् अभियांत्रिकी शाखा (सिविल/विद्युत/जल) की रिपोर्ट के आधार पर आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के दृष्टिगत आरक्षित भूखण्ड सं0 03 से 12 (कुल 10 भूखण्ड) क्षेत्रफल 13425 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किये जाने प्रस्तावित है।

न्यास के आदेश दिनांक 12/1/2016 के अनुसार आरक्षित भूखण्डों के 10 प्रतिशत भूखण्डों की आरक्षित दर का 120 प्रतिशत अर्थात आरक्षित दर + आरक्षित दर का 20 प्रतिशत के आधार पर कीमत की 3 वर्ष के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. लिए जाने का प्रावधान है। आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, कोटा की एफडीआर संख्या 44498443368 राशि 10,47,984.00 रु. (अक्षरे दस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ चौरासी रुपये मात्र) दिनांक 24/09/2025 प्रस्तुत की गई है, जिसके फलस्वरूप भूखण्ड सं0 03 से 12 (कुल 10 भूखण्ड) क्षेत्रफल 13425 वर्गफीट आरक्षित से मुक्त किए जाते हैं।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) उपायुक्त (.....), कोटा विकास प्राधिकरण।
- (2) रजिस्टार, रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, उद्योग भवन, द्वितीय व तृतीय तल, आर.एस.आई. सी. विंग, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, राजस्थान, जयपुर।
- (3) श्री नरेन्द्र खण्डेलवाल पुत्र स्व. श्री श्रीनाथ जी एवं श्रीमति हेमलता खण्डेलवाल पत्नि श्री नरेन्द्र खण्डेलवाल निवासी डी-15, वल्लभबाड़ी, गुमानपुरा, कोटा (राज0)

सचिव
कोटा विकास प्राधिकरण

Document certified by Mukesh Kumar Choudhary <mukeshkhokha10@gmail.com>.

Digitally Signed by Mukesh Kumar Choudhary
Designation: Secretary
Date :26-09-2025 10:47:39

RajKaj Ref No.:
18003145
eSign DSC